

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

अजमेर

व अन्य

बनाम सरकार व अन्य

क्रमांक 212 नम्बर 133 / 2012.....सन

ख नो	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
2018	<p>श्री</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकिल प्रार्थी उपस्थित। राजकीय पेरोकार उपस्थित। राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुति कि दिनांक 25.6.2012 के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 22.1.2014, 22.03.2017, 27.9.2017, 19.7.2018 की पालना में आज दिवस तक अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नहीं किए गए हैं। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 22.1.2014 के पश्चात लगभग चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा लगभग कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 22.1.2014, 22.03.2017, 27.9.2017, 19.7.2018 की पालना नहीं की गई है। जिस हेतु प्रार्थीगण को आदेशिका दिनांक 27.9.17, 19.7.2018 को पूर्व आदेश की पालना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 22.1.14 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 19.7.2018 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने एवं चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। जिससे प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में किसी प्रकार की कोई रुचि प्रकट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	श्री

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर